प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 26.03.2026

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, ट्रांसफार्मर चोरी करने के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

आज दिनांक 26.03.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. फिरोज पुत्र इस्लामुद्दीन 2.जान मौहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासीगण धारापट्टी सिवालखास थाना जानी जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, ट्रांसफार्मर चोरी करने के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निवाडी पर सुसंगत धारा 307 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम अपने साथी शाहरुख पुत्र इस्लामूद्दीन के साथ मिलकर दिन में इसी गाडी से घूमफिर कर पहले ऐसे ट्रांसफार्मर चिन्हित करते हैं जो सुनसान रास्तों पर या खेतों की ट्यूबवेल पर रखे हों जिन पर लोगों की आवाजाही कम हो। इसके बाद मौका देखकर रात्रि के समय हम ट्रांसफार्मर को गिराकर उसके अंदर का कीमती सामान चोरी कर ले जाते हैं तथा उस सामान को कबाडियों को बेच देते हैं। उससे जो रुपये मिलते हैं उन्हे आपस में बांट लेते हैं। आज भी हम लोग ट्रांसफार्मर चोरी करने की ही योजना बना रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया तथा हमारा साथी शाहरुख मौके से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.फिरोज पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी धारापट्टी कस्बा सिवालखास थाना जानी मेरठ, उम्र करीब 32 वर्ष
2.जान मौहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी धारापट्टी सिवालखास थाना जानी मेरठ, उम्र करीब 45 वर्ष

फरार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी धारापट्टी कस्बा सिवाल खास थाना जानी मेरठ।

बरामदगी का विवरण -

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- ट्रांसफार्मर चोरी करने के उपकरण (प्लाश, पेचकस, पाना आदि)
- घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नं0 – DL 1CS 4296

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त फिरोज व जान मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर चोरी के करीब 17 अभियोग तथा आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा ठगी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना से सम्बन्धित 6 लाख 50 हजार रुपये बरामद।

दिनांक 22.02.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी ने तहरीर दी कि अभियुक्त फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी मदीना मस्जिद के पास तिरया निजावत बरेली व अन्य अज्ञात द्वारा धोखाधडी कर वादी के 35 लाख रूपये नगद हडप लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/61(2) बी0एन0एस0 की बढौत्तरी की गयी तथा दिनांक 01.03.2026 को 02 अभियुक्तों 1.फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड न0 4 कस्बा ठिरिया निजावत खा थाना कैंट जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष 2.विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश निवासी थाना मनसोर पार्क जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिनके कब्जे से 10 लाख 50 हजार रूपये बरामद हुए थे।

आज दिनांक 26.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दयाराम उर्फ विकास पुत्र दुली सिंह निवासी ग्राम देहरी जुम्मन थाना कांठ जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना से संबंधित ठगी के 06 लाख 45 हजार रूपये बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 फरवरी को मेरठ रोड पर 35 लाख रुपयों की ठगी की थी यह उसी ठगी का पैसा है। मैंने फुरकान व रामविलास के कहने पर अपने दोस्तों रवि प्रताप ठाकुर दीवान जी जो कि बिजनौर कोतवाली में नियुक्त हैं और राजेश मीणा पुत्र मक्खन लाल निवासी ग्राम सावलपुर थाना अजीतगढ़ जिला जयपुर राजस्थान व संजय मीणा पुत्र रूपचंद्र मीणा निवासी धाढी जोधा वाली ग्राम हीरापुर थाना अजीतगढ़ जिला जयपुर राजस्थान के साथ काली स्कार्पिओ गाड़ी जिसका नंबर 24BH3887A से आकर ठगी की थी। ठगी के 35 लाख में से मुझे 16 लाख रुपया मिला था और 01 लाख रुपया रामविलास को मिला था। मैंने 16 लाख में से 03-03 लाख रुपये रवि प्रताप दिवान जी, संजय और राजेश को दिये थे तथा मेरे हिस्से में 07 लाख रुपये आए थे उसमें से जो बचा हुआ पैसा है वो आपने बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

दयाराम उर्फ विकास पुत्र दुली सिंह निवासी ग्राम देहरी जुम्मन थाना कांठ जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1.रवि प्रताप ठाकुर पता अज्ञात।

2. राजेश मीणा पुत्र मक्खन लाल निवासी ग्राम सावलपुर थाना अजीतगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

3. संजय मीणा पुत्र रूपचंद्र मीणा निवासी धाढी जोधा वाली ग्राम हीरापुर थाना अजीतगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

4. रामविलास पता अज्ञात।

बरामदगी का विवरण-

घटना से संबंधित ठगी के 06 लाख 45 हजार रूपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से 01 लोहे की नुकीली सरिया, 01 पेचकस, 01 माचिस व 01 मोमबत्ती बरामद।

आज दिनांक 26.03.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान 02 शातिर संदिग्ध व्यक्तियों 1. नसीम पुत्र हनीफ 2. आसिफ पुत्र अहसान निवासीगण ग्राम खानपुर थाना जानी जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 लोहे की नुकीला सरिया, 01 पेचकस, 01 माचिस, 01 मोमबत्ती बरामद हुई। अभियुक्तों की विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग सुनसान रात्रि में जब लोगों की आवाजाही कम हो जाती है तो मौका पाकर चोरी कर लेते हैं तथा उस सामान को कबाडियों को बेच देते हैं उससे जो रुपये मिलते हैं उन्हे आपस में बांटकर अपने शौक पूरे करते हैं। आज भी हम लोग इसी फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. नसीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जिला मेरठ, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. आसिफ पुत्र अहसान निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जिला मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

चोरी करने के उपकरण (लोहे की नुकीली सरिया, पेचकस, माचिस, मोमबत्ती) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्टिंग एनर्जी कोल्ड्रिंक की 39 पेटी व 1150/- रुपये नगद बरामद।

आज दिनांक 26.03.2026 को थाना मसूरी पर वादी श्री नरेश सिह (कम्पनी मैनेजर) वरूणा इन्टीग्रेटिड लॉजिस्टिक प्रा0लि0 गुरुग्राम हरियाणा ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि उसकी कम्पनी वरूण बेवरेजेज नैनी प्रयागराज कन्टेनर नं0-NL01AJ3818 का परिचालक अब्दुल्ला व उसका साथी क्लीनर आदिल दिनांक 16.03.2026 को स्टिंग एनर्जी कोल्ड्रिंक की 3070 पेटी (प्रत्येक पेटी में 30 बोतल व प्रत्येक बोतल 300 ML) लोड करके सूरजपुर ग्रेटर नोएडा के लिए गये थे, कम्पनी की गाडी में जीपीएस लगा हुआ था। चालक अब्दुल्ला से माल के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया तो इधर-उधर की बाते बनाने लगा और कोई सन्तोषजनक जवाब नही दे रहा था। जीपीएस लोकेशन के आधार पर मसूरी पर आये तो हमारी कम्पनी की उक्त गाडी खडी मिली चालक अब्दुल्ला व साथी क्लीनर आदिल मौके से भाग गये थे। माल को चेक किया गाडी की शील टूटी हुई मिली जिसके अन्दर से 214 पेटी गायब कर चोरी कर ली गयी। उक्त के संबंध में थाना मसूरी पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीमें गठित की गयीं।

तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. अब्दुल्ला व उसका साथी क्लीनर 2. आदिल को मानव रहित खण्डर मसूरी के पास से गिरफ्तार किया गया जिनकी निशांदेही से 39 पेटी स्टिंग एनर्जी कोल्ड्रिंक व 1150/- रुपये नगद बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अब्दुला ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वरूण बेवरेजेज कम्पनी नैनी प्रयागराज की कन्टेनर नं0- NL01AJ3818 को करीब 03 महीने से चलाता हूँ। मेरे साथ मेरा क्लीनर आदिल भी चलता है। दिनांक 16.03.2026 स्टिंग एनर्जी कोल्ड्रिंक की 3070 पेटी लोड करके सूरजपूर ग्रेटर नोएडा के लिए चले थे रास्ते में हमारे मन में लालच आ गया था और हम दोनों ने मिलकर कन्टेनर में से 175 पेटी निकालकर राह चलते होटल ढाबे वाले व्यक्तियों को बेच दी थी। उस पैसे को हमने अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिया था। फिर हम कन्टेनर को मसूरी ले आये थे और उसमें से 39 पेटी और निकालकर गायब करके मानव रहित खण्डर मसूरी के पास छिपा कर रख दी थी। आज हम दोनों बेचने के लिए जाने वाले थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1.अब्दुल्ला पुत्र कामयाबअली निवासी नालीपाडा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
2.आदिल पुत्र नौशाद निवासी नालीपाडा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से चोरी की स्टिंग एनर्जी कोल्ड्रिंक की 39 पेटी व 1150/- रूपये नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.02.26 को थाना खोड़ा पर वादिया ने तहरीर दी और बताया कि अमित कुमार पुत्र हरीश चंद निवासी बालाजी नगर बरनाहल जनपद मैनपुरी द्वारा मेरे साथ शादी का झाँसा देकर जूस मे नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर, शादी का वादा करते हुए पत्नी की तरह रखते हुए शारीरिक सम्बन्ध बनाने से गर्भवती हो जाने पर गर्भपात कराकर वीडियो वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी। प्राप्त तहरीर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना खोड़ा पर धारा 69/351(2)/123/89 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम में आज दिनांक 26.03.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र हरीशचन्द्र निवासी हाल पता राजीव विहार खोड़ा मूल निवासी बालाजी नगर कस्बा व थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी उम्र करीब 28 वर्ष को लेबर चौक से गिरफ्तार किया गया कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादिया से मेरी मुलाकात शिकोहाबाद में करीब 03 वर्ष पहले हुई थी। हम आपस में बात-चीत करने लगे। बातचीत करने के दौरान हमारी नजदीकियाँ बढ़ने लगी एवं हम एक-दूसरे को प्यार करने लगे। मैंने उससे शादी का वादा किया था। इसी दौरान हम दोनों के बीच

शारीरिक सम्बन्ध बनते रहे। वो मुझसे बार-बार शादी के लिए प्रेशर देती थी परन्तु मैं हर बार कुछ समय के लिए टाल देता था। मैं अपने घरवालों की रजामंदी के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अमित कुमार पुत्र हरीशचन्द्र निवासी हाल पता राजीव विहार खोड़ा मूल निवासी बालाजी नगर कस्बा व थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी उम्र 28 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अमित के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा नकली नोट के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 25.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा 500-500 रूपये के 234 नकली नोटों के साथ 03 अभियुक्तगण 1.सुबोध कुमार शाह पुत्र स्व सुखदेव शाह निवासी नेब सराय इग्नू रोड जनरेटर वाली गली 125 बी थाना नेब सराय दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष 2. रोहित पुत्र विनोद शाह निवासी नेब सराय इग्नू रोड जनरेटर वाली गली 125 बी थाना नेब सराय दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष 3.मुन्ना उर्फ हरीश पुत्र बब्बन लाल निवासी सलारपुर सेक्टर 39 नोएडा उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 500-500 रूपये के कुल 234 नकली नोट बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-179/180 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि ये 500-500 के सभी नोट नकली हैं। इन नकली नोटों को हमें एक व्यक्ति जो अपने आप को झारखंड का बताता है जिससे राह चलते सुबोध की मुलाकात हुई थी जो अपना नाम हमें नही बताता जगह बदल बदल कर हम लोगों को रूपये देकर चला जाता था। हम लोग इन पैसों को राह चलते लोगों को बेचकर काफी मोटा मुनाफा कमाते हैं। इन नकली नोटों के बदले में हमें असली नोट भी मिल जाते हैं। अभिषेक उर्फ गज्जू जो नोएडा में मुन्ना के साथ काम करता था, जहां हमारी उससे जान पहचान हुई थी। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी अभिषेक उर्फ गज्जू को 20 हजार रुपये दिए थे। अभी हमारी इन पैसों को लेकर अभिषेक उर्फ गज्जू जो बेहटा हाजीपुर में रहता है, से डील हुई थी जिसे देने के लिए हम तीनों लोग इसी मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सुबोध कुमार शाह पुत्र स्व सुखदेव शाह निवासी नेब सराय इग्नू रोड जनरेटर वाली गली 125 बी थाना नेब सराय दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष।

2.रोहित पुत्र विनोद शाह निवासी नेब सराय इग्नू रोड जनरेटर वाली गली 125 बी थाना नेब सराय दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

3.मुन्ना उर्फ हरीश पुत्र बब्बन लाल निवासी सलारपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा उम्र करीब 30 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.अभिषेक उर्फ गज्जू पुत्र अज्ञात निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2.एक अज्ञात निवासी झारखंड।

बरामदगी का विवरण-

500-500 रुपये के कुल 234 नकली नोट तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।